न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—1230 / 2020 दायर दिनांक:—30.06.2020

जीसीएमएस नं. 2020 / 00098

किरनो उर्फ किन्तो पुत्री गंगासहाय पत्नि भवानी जाति छीपी निवासी बेरखेडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला—करौली राज0

———————प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट
राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित— 1 .श्री अशोक नीमनका प्रार्थी वकील
2. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांक— 16-10-24

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी ख0न0 1394 रकबा 75 ऐयर, 1395 रकबा 01 ऐयर, 1396 रकबा 36 ऐयर कुल किता 3 कुल रकबा 1.12 है0 स्थित ग्राम लहचौडा तहसील हिण्डौन में वादीया 1 / 5 हिस्से की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है।

वादिया का गांव में एवं परिवार में आम बोलचाल की भाषा में नाम किन्तो रहा है। लेकिन सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम किरनो दर्ज है, जबकि किरनों एवं किन्तों दोनो ही नाम प्रार्थीया वादीया के ही है। वादिया के पिता की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात के बिरासत का नामांतकरण वादीया के नाम आम बोलचाल की सुविधानुसार किरनो के स्थान पर किन्तों दर्ज फरमा दिया गया। जिसे संशोधित फरमाया जाना आवश्यक है।

बाका दिनांक 27.01.2020 को वादीया ने हल्का पटवारी से अपने रिकॉर्ड की जानकारी चाही तो हल्का पटवारी ने रिकॉर्ड में प्रार्थीया वादिया किरनो का नाम दर्ज नहीं बाबत बताया है जिस पर [illegible] एवं तहसीलदार तहसील हिण्डौन हाल सूरौठ के [illegible] संशोधन बाबत प्रार्थना [illegible] उन्होने श्रीमानजी के समक्ष चाराजोही करने की हिदायत फरमायी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:43:53 IST
Reason: SelfAttested

दावा वादी खिलाफ प्रतिवादी डिक्री फरमाया जाकर इस आशय कि घोषणा फरमायी जावे कि आराजी ख0न0 1394, 1395, 1396 किता 3 रकबा 1.12 है0

(516)

स्थित ग्राम लहचौडा तहसील हिण्डौन हाल सूरौठ मे वादिया का नाम किरनो उर्फ किन्तो दर्ज फरमाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन के द्वारा जबाब न्यायालय हाजा में दिनांक 31.08.2024 को पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया जो निम्नानुसार हैः–

1. वाद पत्र का मद न0 1 स्वीकार योग्य है।
2. वाद पत्र का मद न0 2 वादिया साक्ष्य सबूत के आधार पर स्वयं सिद्ध करे।
3. वाद पत्र का मद न0 3 कानूनी है।
4. वाद पत्र का मद न0 4 कानूनी है।
5. वाद पत्र का मद न0 5 कानूनी है।
6. वाद पत्र का मद न0 6 कानूनी है।
7. राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर दिनांक 18.06.2007 के परिपत्र के अनुसार राजस्व अभिलेखों में काश्तकारों का नाम सम्मान सूचक न होने के कारण संशोधन बाबत जारी दिशा निर्देशों के अनुसार साक्ष्य सबुत के आधार पर वादिया का नाम ग्राम बेरखेडा के खसरा न0 1394, 1395, 1396 किता 3 रकबा 1.12 है0 पर किन्तो पुत्री गंगाराम हि0 1/5 दर्ज है। साक्ष्य सबुतों के आधार पर किन्तो के आधार पर किरनो कराये जाने में लैण्ड होल्डर तहसीलदार को कोई आपत्ति नहीं है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 86 वाके ग्राम बेरखेडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ, पहचान पत्र की प्रति पेश की गई हैं।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। एवं पैरोकार सरकार ने अपने बहस कथन में साक्ष्य सबुतों के आधार पर किन्तो के आधार पर किरनो कराये जाने में लैण्ड होल्डर तहसीलदार को कोई आपत्ति नहीं है।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली [illegible] रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 86 वाके ग्राम बेरखेडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थीया हिस्सा 1/5 भाग का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। एवं पहचान पत्र तथा तहसीलदार हिण्डौन की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि तहसीलदार हिण्डौन की अभिशंषा एवं उपलब्ध दस्तावेज के आधार नकल जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 86 वाके ग्राम बेरखेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:43:53 IST
Reason: SelfAttested

तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में किन्तो के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में किरनों प्रार्थी के हक में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 86 वाके ग्राम बेरखेडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ में किन्तो के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में किरनों किया जाता है, साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरूस्ती का अमल करने हेतु पृथक से तहसीलदार सूरौठ को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16-10-17 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

16/10/17

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:43:53 IST
Reason: SelfAttested